

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान  
दायरा दिनांक 08.06.2022  
वाद संख्या 18/22

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1-सुआ उर्फ सुवा पुत्र भरोसा जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहावाद  
जिला बारां राजस्थान  
2-बच्चू पुत्र भरोसा जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां  
राजस्थान वादीगण

बनाम

1-मुरारी पुत्र भरोसा जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां  
राजस्थान  
2-बारेलाल पुत्र भरोसा जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां  
राजस्थान  
3-प्रकाश पुत्र भरोसा जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां  
राजस्थान  
4-कसूमल पत्नि गजनलाल पुत्री भरोसा जाति किराड निवासी घेंसुआ तहसील  
शाहाबाद जिला बारां राजस्थान  
5-रज्जो पत्नि सुरेश पुत्री भरोसा जाति किराड निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद  
जिला बारां राजस्थान  
6-स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान  
प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 05.05.2025

उपस्थित

वादीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट  
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022 से स्वीकार  
किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 39/1 रकबा 4.00 बीघा ग्राम बमनगवां तहसील  
शाहाबाद में से वादीगण हिस्सा 2/7 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार  
शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई  
थी। जिसकी पालना में दिनांक 05.04.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन  
प्रस्ताव पेश किया, जिसे उभयपक्ष अधिवक्तागण ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना  
जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	सुवा, बच्चू पुत्र भरोसा जाति किराड सा. देह हि.बरा.	39/2 मि.नं. 39/1 पश्चिमी	1.03 बीघा	बंजड2	0.23

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	मुरारी बारेलाल प्रकाश पुत्र भरोसा कसूमल रज्जो पुत्रियां भरोसा जाति किराड सा. देह हि.बरा.	39/1 पूर्वी	2.17 बीघा	बंजड2	0.57

05/05/2025  
उपखण्ड अधिकारी

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम बमनगवां तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 39/1 रकबा 4.00 बीघा में से वादी हिस्सा 2/7 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/05/2025  
उपस्थान अधिकारी  
शाहावाद